राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ. /चारा. /2009–10/ 4146–52 जयपुर,दिनांकः 22-2-1

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू,गंगानगर, हनुमानगढ़,
जैसलमेर, जोधपुर,नागौर, पाली,राजसमन्द, सीकर, सिरोही ।

विषय :– अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों की सीमा हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव सम्वत 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नानुसार जिलों के सम्मुख अंकित संख्या तक पशु शिविर **मार्च, 2010** हेतु खोले जाने हेतु अधिकृत किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत पशु शिविर संख्या
1.	अजमेर	20
2.	बाड़मेर	200
3.	बीकानेर	100
4..	चूरू	20
5.	गंगानगर	4
6.	हनुमानगढ़	20
7.	जैसलमेर	400
8.	जोधपुर	20
9.	नागौर	24
10.	पाली	5
11.	राजसमन्द	3
12.	सीकर	10
13.	सिरोही	5
	योगः	831

नोटः– उक्त संख्या पूर्व में (फरवरी,2010 तक) स्वीकृत पशु शिविर की संख्या को शामिल करते हुए है।

आपके जिले में पशुओं के लिये पशु शिविर खोले जाने के संबंध में कृपया निम्न दिशा–निदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे:–

1. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वंयसेवी संस्था के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाए साथ ही ऐसे शिविरों में, बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

2. गत वर्षो में यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु शिविरों के माध्यम से पशुपालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशु पालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

   (i) किसी भी पशु शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।

(ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।

(iii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं को यदि पशुपालक द्वारा शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

(iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 20/– रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 10/– रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु–आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6/– रूपये बडे पशु तथा 3/– रूपये प्रति छोटे पशु की दर से देय अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के प्रतिस्थित अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा एक माह की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

3. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:–

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम

(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक

(iii) संस्थान का नाम जहॉ शिविर चलाया जाएगा

(iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो

(v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान

(vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें

(vii) चारा किस मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।

(viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक

(ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया

(x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम

(xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो

(xii) संस्था के प्रबन्धक, अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

4 राजकीय अनुदान ,शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

5 पशु शिविर चलाने वाली स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि सदस्य मनोनीत किया जाए एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक के दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को समय पर दी जाए तथा वित्तीय प्रकृति के महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जाए जिनमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।

6 ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाए :—

क पशु चारा खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

ख पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर

ग दैनिक वितरण रजिस्टर

घ दैनिक आमद व खर्च की रोकड बही

7 ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

8 जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवीसंस्था को भेज दी जाए।

9 यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

22/2/10

शासन सचिव